

25-10-17

वकील उमपदा उमपदा वकील उमपदा
बदल प्रार्थना पत्र एवं शेष अप्रार्थित
के जवाब हेतु लम्प चाहा। पगावली
वास्ते बदल प्रार्थना पत्र एवं शेष
अप्रार्थित के जवाब हेतु, दिनांक
30-11-17 को पेश हो।

A/2

30-11-17

वकील उमपदा उमपदा वकील उमपदा
बदल प्रार्थना पत्र एवं शेष अप्रार्थित
के जवाब हेतु लम्प चाहा। पगावली
वास्ते बदल प्रार्थना पत्र एवं शेष अप्रार्थित
के जवाब हेतु, दिनांक 21-12-17 को पेश हो।

21-12-17

वकील उमपदा उमपदा वकील उमपदा
पत्र एवं शेष अप्रार्थित के जवाब
हेतु, लम्प चाहा। पगावली वास्ते
बदल प्रार्थना पत्र एवं शेष अप्रार्थित
के जवाब हेतु, दिनांक 25-1-18 को
पेश हो।

28-12-17

प्राचीन द्वारा मूल वाद में प्रार्थना पत्र पेश कर
मूल वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहने पर
मूल वाद का निस्तारण किया जा चुका है।
मूल वाद का निस्तारण होने के कारण इस प्रकरण
में कोई कार्यवाही शेष नहीं बचती। दिनांक 04-07-17
को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश निरस्त किया
जाकर प्रकरण खारिज किया जाता है। पगावली
केसलां शमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

(अध्याय आदेश)
उपखण्ड अधिकारी (सिविल)
श्रीगंगानगर